

**PGDLL-05**

June - Examination 2018

**PGDLL Examination****Labour Jurisprudence and the I.L.O.****Paper - PGDLL-05****Time : 3 Hours ]****[ Max. Marks :- 100**

**Note:** The question paper is divided into three sections A, B and C. Write answers as per the given instructions.

**निर्देश :** यह प्रश्न पत्र 'अ', 'ब' और 'स' तीन खण्डों में विभाजित है। प्रत्येक खण्ड के निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

**Section - A****10 × 2 = 20**

Very Short Answer Questions (Compulsory)

**Note:** Answer **all** questions. As per the nature of the question delimit your answer in one word, one sentence or maximum up to 30 words. Each question carries 2 marks.

**खण्ड - 'अ'**

अति लघु उत्तरीय प्रश्न (अनिवार्य)

**निर्देश :** सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप अपने उत्तर को प्रश्नानुसार एक शब्द, एक वाक्य या अधिकतम 30 शब्दों में परिसीमित कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है।

1) (i) Natural Justice / प्राकृतिक न्याय

- (ii) P.I.L. (Give full form) लो.हि.वा. (पूर्ण नाम)
- (iii) Collective Bargaining – सामूहिक सौदेबाजी
- (iv) Award – पंचाट
- (v) Family Pension – पारिवारिक पेंशन
- (vi) Labour welfare – श्रमिक कल्याण
- (vii) Maternity Benefit – प्रसूति सुविधा
- (viii) Bonded Labour – बंधुआ मजदूरी
- (ix) Conventions – अभिसमय
- (x) Social Security – सामाजिक सुरक्षा

### Section - B

4 × 10 = 40

(Short Answer Questions)

**Note:** Answer **any four** questions. Each answer should not exceed 200 words. Each question carries 10 marks.

### खण्ड – ब

(लघु उत्तर वाले प्रश्न)

**निर्देश :** किन्हीं **चार** प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप अपने उत्तर को अधिकतम 200 शब्दों में परिसीमित कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है।

2) How labour jurisprudence is helpful in dealing problems of Labour?

श्रमिक विधिशास्त्र किस प्रकार श्रमिकों की समस्याओं को सुलझाने में मददगार है।

- 3) Discuss the status of Social Justice in India.  
भारत में सामाजिक न्याय की स्थिति की विवेचना कीजिए।
- 4) Write short notes on Tripartism in Labour Laws.  
श्रम विधि में त्रिपक्षवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
- 5) Explain the concept of Natural Justice.  
नैसर्गिक न्याय की अवधारणा को समझाइए।
- 6) Discuss the concept of collective bargaining.  
सामूहिक सौदेबाजी की अवधारणा की विवेचना कीजिए।
- 7) What are the characteristics of Labour? Discuss.  
श्रम के लक्षणों की विवेचना कीजिए।
- 8) What do you understand by Public Interest Litigation? Discuss.  
लोकहितवाद से आप क्या समझते हैं? व्याख्या कीजिए।
- 9) Discuss the functions of International Labour organisation.  
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यों की विवेचना कीजिए।

### Section - C

2 × 20 = 40

(Long Answer Questions)

**Note:** Answer **any two** questions. You have to delimit your each answer maximum up to 500 words. Each question carries 20 marks.

### खण्ड - स

(दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न)

**निर्देश :** किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको अपने उत्तर को अधिकतम 500 शब्दों में परिसीमित करना है। प्रत्येक प्रश्न 20 अंकों का है।

10) Explain the main principles and objects of ILO. Also, explain the evaluation of the functioning of ILO.

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रमुख सिद्धान्तों तथा उद्देश्यों को समझाइए।  
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यों का मूल्यांकन प्रस्तुत कीजिए।

11) Discuss the concept, growth and applicability of Labour Jurisprudence in India.

भारत में श्रम विधिशास्त्र की संकल्पना, उद्भव एवं प्रयोजनीयता की विवेचना कीजिए।

12) Discuss any leading case of this course with facts, Judgements and principles of Law involved.

अपने पाठ्यक्रम के प्रमुख वाद के तथ्य, निर्णय एवं विधि के प्रमुख प्रतिपादित सिद्धान्तों की विवेचना कीजिए।

13) "International Labour organisation" is playing an Important Role to protect the Human Rights. How? Discuss in detail.

“अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन” मानव अधिकारी के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, कैसे? विस्तार में समझाइए।

\_\_\_\_\_